

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018/केम्प कोर्ट )

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर0ए0एस0)  
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि0 21/5/18  
फैसल दि0 21/5/18

श्री डायालाल मनु कल्याण अनवान  
बनाम श्री धारी लक्ष्मीदेव  
सागवाडा  
(वादी) (प्रतिवादी)

वादी श्री डायालाल मनु कल्याण ने वाद प्रस्तुत कर  
मोजा घोराद के खाता नम्बर 303 जमाबन्दी सं० 2073-76  
में अंकित स्वयं/पिता का नाम केवली  
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है  
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर  
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम  
केवली है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम केवली  
दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।

प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम केवली  
होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता  
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद  
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया  
जाता है कि मोजा घोराद की जमाबन्दी संवत् 2073-76 के  
खाता संख्या 303 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम

केवली में संशोधन कर सही नाम केवली  
दर्ज रेकार्ड किया जावे।  
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार  
हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी  
सागवाडा